न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1938–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–7–2013 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल, प्रकरण कमांक 27/अ–12/2012–13

.....

राधेश्याम आत्मज स्व0श्री अमरसिंह
निवासी ग्राम मूडला तहसील हुजूर
जिला भोपाल

..... आवेदक

विरूद्ध

भावसिंह आत्मज श्री कनीराम
निवासी ग्राम मूडला तहसील हुजूर
जिला भोपाल

..... अनावेदक

.....

श्री लोकेश भार्गव, अभिभाषक–आवेदक
श्री अरविन्द वर्मा, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/8/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–7–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक भावसिंह के द्वारा ग्राम मूण्डला स्थित भूमि सर्वे कमांक कमशः 66/1/2, 70/1, 302/3/2, 303, 304, 322, 357/3/2 कुल रकबा 0.910 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय(राजस्व निरीक्षक) द्वारा प्रकरण कमांक 27/अ–12/2012–13 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत प्रकिया अपनाकर सीमांकन कराया जाकर दिनांक 3–7–2013 को अनावेदक के पक्ष में सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन की कार्यवाही में आवेदक को सूचना तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई व पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है। यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन की कार्यवाही एक तरफा बाला बाला तरीके से की है तथा जिसमें सीमांकन की पूरी प्रकिया अपनाई ही नहीं गई है, फील्डबुक आदि भी नहीं बनाई गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अबैध कब्जा नहीं किया गया है । यदि सीमांकन में अवैध कब्जा पाया जाता है तब लाल, नीली अथवा हरी स्याही से अवैध कब्जा दर्शाया जाता है, जो कि नहीं दर्शाया गया है । आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से मशीन से सीमांकन कराया गया है जिसमें आवेदक का अवैध कब्जा नहीं निकला है। यह भी कहा गया कि अनावेदक सीमांकन की आड़ में आवेदक का मौके से कब्जा छीनना चाहता है जिससे आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होगी । अंत में कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही दूषित होने से सीमांकन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) यह निर्विवादित है कि आवेदक और अनावेदक भतीजा और चाचा हैं । राधेश्याम के पिता की मृत्यु हो चुकी है जो कि अनावेदक के सगे भाई थे । आपसी बटवारे के पश्चात् दोनों भाईयों का आपसी सहमति से संपत्ति एवं कृषि भूमि का

बटवारा हुआ था जिसके सीमांकन हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र दिया गया था ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय के राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुँचकर नियमों एवं कानून के अनुसार विधिवत् रूप से विवादित भूमि का सीमांकन किया था जिसमें पश्चिमी सिरे पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया था ।

(3) सीमांकन की कार्यवाही में राजस्व अधिकारियों द्वारा विधिवत् रूप से फील्डबुक बनाई गई थी, जो अभिलेख पर सीमांकन प्रतिवेदन और पंचनामें के साथ मौजूद है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय के सीमांकन प्रतिवेदन एवं पंचनामें से स्पष्ट है कि अनावेदक की भूमि के अंश भाग पर न केवल आवेदक राधेश्याम का अवैध कब्जा था बल्कि अन्य लोगों का भी अंश भाग पर कब्जा था । सीमांकन के पश्चात् सभी अवैध कब्जेदार लोगों ने वास्तविक स्थिति समझते हुये प्रश्नाधीन भूमि पर से अपना अवैध कब्जा खसरा कमांक 302/3/2, 303, 304, 322, 357/3/2 रकबा 0.704 हेक्टेयर पर से हटा लिया है और कब्जा हटाने के बाद मात्र आवेदक द्वारा खसरा कमांक 66/1/2 एवं खसरा कमांक 70/1 के अंश भाग की भूमि पर अपना अवैध कब्जा बनाये रखा है और इस अवैध कब्जे को हटाने के लिये अनावेदक का आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष लंबित है । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक सहित पड़ोसी कृषक एवं हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत् सूचना पत्र जारी किये गये हैं और सीमांकन में आवेदक उपस्थित भी हुआ है और उसके द्वारा उपस्थित होकर स्वीकार किया गया है कि वह अपनी भूमियों का सीमांकन करायेगा, परन्तु आवेदक द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने संबंधी कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह नहीं बतलाया जा सका है कि तहसील न्यायालय द्वारा किये गये सीमांकन में क्या अवैधानिकता हुई है । चूँकि तहसीलदार द्वारा विधिवत्

प्रकिया अपनाकर सीमांकन कार्यवाही की जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, इसलिये उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–7–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर